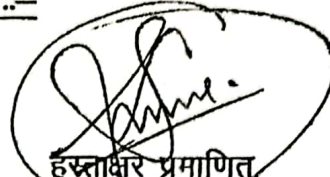




:- स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र :-


हस्ताक्षर प्रमाणित,
श्री संजय कुमार

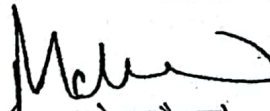
मुख्य चिकित्सक/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-पत्रांक-19प/8/1/2024/टी0सी/13918 दिनांक 21 मई, 2024 के क्रम में राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के सम्मुख श्री संजय कुमार पति डा0 ममता टम्टा उम्र लगभग 46 वर्ष अपने स्वास्थ्य परीक्षण हेतु दिनांक 06 जून, 2024 को उपस्थित हुये।

परीक्षणोपरान्त उन्हें Atrial septal defect closure in 2015
(type of heart disease). E. Hypertension. requires regular
follow up & treatment. X X

पाया गया।


(डा0 एस0 एन0 सिंह)
आर्थोसर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


(डा0 महेश खैतान)
नेत्र सर्जन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


(डा0 प्रवीन पंवार)
फिजिशियन/सदस्य,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


मुख्य चिकित्सक/सचिव,
राज्य चिकित्सा परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


महानिदेशक/अध्यक्ष
राज्य चिकित्सा परिषद
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें

देहरादून।

दिनांक:- 12/05/2025

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय:- स्थानान्तरण विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि मैं डा० ममता टम्टा, चिकित्साधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्योलीकोट, जिला नैनीताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में निदेशालय से जारी अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची-2025 (सुगम से दुर्गम) में मेरा नाम पुनः अंकित किया गया है। जबकि मेरा स्थानान्तरण मेरे पति के गम्भीर हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अधीन शासन के कार्यालय आदेश पत्रांक सं०- 3678/XI-1/2022-178/2010 T.C. दिनांक: 30 दिसम्बर, 2022 को हुआ है। वर्तमान तैनाती स्थल में मुझे मात्र दो वर्ष ही हुए हैं, क्योंकि मातृत्व अवकाश में होने के कारण मैंने स्थानान्तरित स्थल में दिनांक 06/04/2023 को कार्यभार ग्रहण किया था। मेरे पति डा० संजय कुमार टम्टा, जोकि इतिहास विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण उनका ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन के उपरान्त भी उनकी हृदय गति तथा रक्तचाप बार-बार बढ़ने की शिकायत के कारण उनकी बीमारी यथावत ही है। डॉक्टर ने उन्हें विशेष देखभाल की सलाह दी है। मेरे अतिरिक्त उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है।

अतः स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के अधीन दो वर्ष पूर्व हुए मेरे स्थानान्तरण पर स्थाना०अधि०, 2017 की धारा-13(4) गम्भीर रोग ग्रस्तता तथा धारा-13(3) दाम्पत्य नीति के आधार पर विचार करते हुए मुझे अपने वर्तमान तैनाती स्थल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्योलीकोट, जिला नैनीताल में यथावत बने रहने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि स्थानान्तरण किया जाना अति आवश्यक हो तो मेरा स्थानान्तरण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, देवीधूरा, जनपद नैनीताल में करने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

सादर।

संलग्नक:- पति का स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी स्टेट मेडिकल बोर्ड से निर्गत प्रमाण-प्रपत्र।

भवदीय

Mamta

(डा० ममता टम्टा)

चिकित्साधिकारी,

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
ज्योलीकोट, जिला नैनीताल।